

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

कमांक प.10(132)नविवि/2/2018 पार्ट

दिनांक 29 OCT 2018


निदेशक,
जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान
जयपुर।

विषय:—राजस्थान रियल एस्टेट अपीलैट ट्रिब्यूनल में सदस्यों की नियुक्ति के लिए विद्यमान रिक्तियों की विज्ञप्ति का राष्ट्र स्तरीय एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान रियल एस्टेट अपीलैट ट्रिब्यूनल में सदस्यों की नियुक्ति के लिए विद्यमान रिक्तियों की विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर लेख है कि इसका प्रकाशन राष्ट्र स्तरीय टाइम्स ऑफ इण्डिया या इण्डियन एक्सप्रेस में से किसी एक में नई दिल्ली संस्करण तथा राज्य के राज्य स्तरीय राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में करवाकर विज्ञप्ति की दो-दो प्रतियां उपलब्ध करवाने का श्रम करावें (मात्र ही)
संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय


29/10/18
(राजेंद्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपी:—

1. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त रिक्तियों की विज्ञप्ति की प्रति, पदों की योग्यता, अनुभव इत्यादि एवं आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न कर लेख है कि इन्हें विभागीय वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in पर शीघ्र अपलोड करने का श्रम करे।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

Government of Rajasthan
Urban Development & Housing Department
Website: www.urban.rajasthan.gov.in

F.10(132)UDH/3/2018/Part

Date: 29 OCT 2018

VACANCY NOTICE

Vide Notification of even No. dated: 11-10-2018, Applications were invited for the appointment on various positions in Rajasthan Real Estate Appellate Tribunal from eligible persons so as to reach applications complete in all respect on or before 29-10-2018. Now these applications may be sent by Registered post in the Office of Additional Chief Secretary, Urban Development & Housing Department, Government of Rajasthan, Room No.5213, Main Building, II Floor, Secretariat, Jaipur or on Email: dsudh@yahoo.com on or before 15-11-2018 latest by 05.00 P.M. For details may visit the website: www.urban.rajasthan.gov.in



Additional Chief Secretary to the Government